उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 11 1-15 जून 2026 ₹ 20/-

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता

- अवैध मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई
- पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह
- लेबनान पर इजरायली हमलों में 3700 लोगों की मौत
- बिहार में मदरसों की जांच हेतु समिति का गठन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अवैध मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई से मचा बवाल 04
बिहार में मदरसों की जांच हेतु समिति का गठन 07
मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी 09
दिल्ली में आतंकवादियों का गिरोह गिरफ्तार 11
छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने-अपने दावे 12

विश्व

पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह 15
अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध 18
अमेरिका में 30 भारतीय ट्रक चालक गिरफ्तार 19
ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ अभियान 20
अवैध घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश और भारत में तनाव 22

पश्चिम एशिया

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता 23
सऊदी अरब और तुर्किये के बीच रेलवे नेटवर्क हेतु समझौता 27
बहरीन में ईरानी जासूसों की गिरफ्तारी 29
लेबनान पर इजरायली हमलों में 3700 लोगों की मौत 30
ओमान के पास भारतीय जहाजों पर हमला 31

सारांश

अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थाई शांति समझौता हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से इस समझौते को अपनी उपलब्धि और जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, वह जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। इसका कारण यह है कि ईरान ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि वह परमाणु शक्ति का विकास परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि हालिया युद्ध के कारण ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है और उसे अपने शीर्ष नेतृत्व से भी हाथ धोना पड़ा है। विश्लेषकों का मत है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यह पूरा प्रयास करेंगे कि यह समझौता वार्ता सफल न हो सके। इसके लिए वे लेबनान में मौजूद इजरायली सेना का इस्तेमाल अपने तुरूप के पत्ते की तरह कर सकते हैं।

पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में 'जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (जेएएसी) के आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सेना और आम जनता के बीच हुई हिंसक झड़पों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गैर-सरकारी सूत्रों का दावा है कि यह संख्या 150 को पार कर गई है। पिछले दो सप्ताह से इस पूरे क्षेत्र में जनजीवन ठप है। हालिया विवाद पीओजेके विधानसभा की उन 12 सीटों को रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ है, जो भारतीय जम्मू-कश्मीर से भागकर गए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। हाल ही में पीओजेके की विधानसभा ने इन सीटों को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव पास किया था। इसके विपरीत जेएएसी की मांग है कि इन सीटों को तुरंत खत्म किया जाए। उसका आरोप है कि पाकिस्तान की संघीय सरकार इन सीटों का फायदा उठाकर अपने पसंदीदा नेताओं को पिछले दरवाजे से विधानसभा में लाती है और वहां अपनी कठपुतली सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त पीओजेके की जनता बढ़ती महंगाई के कारण भी त्रस्त है। पूर्व में पाकिस्तान सरकार पीओजेके के लोगों को भारी सब्सिडी देकर खाद्य सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती थी। हालांकि, वर्तमान में कंगाली और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने इस सब्सिडी में कटौती कर दी है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है।

भारत में एक ऐसा वर्ग है जो छोटे-मोटे मुद्दों को उछालकर समाज के एक बड़े वर्ग को सरकार और बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। देश के अनेक राज्यों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अदालतों के निर्देश से जो अभियान चल रहा है, उसे कुछ मुस्लिम संगठन सरकार और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित प्रयास कर रहे हैं। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी मस्जिदों और मजारों को जब अदालत के निर्देश पर हटाया जाता है तो मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा इसे धार्मिक उत्पीड़न का रंग देकर जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से ऐसे तत्वों की गतिविधियां देश की शांति और कानून-व्यवस्था के हित में नहीं है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है ताकि राज्य के नागरिक यूसीसी के बारे में अपने सुझाव दे सकें और अपने दृष्टिकोण से सरकार को अवगत करा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो राज्य के सभी धार्मिक व सामाजिक नेताओं से संपर्क करके उनकी राय लेगी।

राष्ट्रीय

अवैध मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई से मचा बवाल

देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के तहत कई राज्यों में मस्जिदों और मदरसों को भी हटाने के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

इंकलाब (18 जून) के अनुसार आगरा के तहसील सदर स्थित गांव अंगूठी में अदालती आदेश पर एक अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और मजार का निर्माण कर लिया है। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने इस अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में वन विभाग की भूमि पर बनी एक मजार को बुडलोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह मजार मुहम्मद गोरी के एक सेनापति सैयद बाबा की है, जो लगभग 800 वर्ष पुरानी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की टीम ने रात के अंधेरे में इस मजार को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। इसके बाद वन विभाग ने उस पूरी जगह को समतल कर वहां तुरंत पेड़-पौधे लगा दिए ताकि मजार का कोई नामोनिशान बाकी न रहे।

कौमी तंजीम (12 जून) के अनुसार सैयद बाबा मजार के प्रबंधक ने दावा किया है कि यह मजार तीन हजार वर्ग फुट भूमि पर बनी है। बताया जाता है कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच करवाई और जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि यह मजार वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है। मजार के प्रबंधक ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद

प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 जून) के अनुसार गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देश पर 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत खोड़ा क्षेत्र में स्थित दो मदरसों को सील कर दिया गया है। एक अन्य समाचार के अनुसार गाजियाबाद के डासना स्थित कल्लूगढ़ी इलाके में 'मदरसा अरबिया इस्लाम' को ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि यह मदरसा सरकारी भूमि पर बनाया गया था और बिना किसी सरकारी मंजूरी के चलाया जा रहा था।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कसेरवा गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक कब्रिस्तान के लिए निर्धारित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। तहसीलदार की अदालत ने 21 अप्रैल को इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद 1200 वर्ग मीटर की इस सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 जून) के अनुसार वाराणसी में प्रशासन ने 200 साल पुरानी 'अजगैब शहीद मस्जिद' को ध्वस्त कर दिया है। पूरा मलबा भी रातों-रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया। इस मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन एक हजार से अधिक पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा। काशी के डीसीपी गौरव बंसवाल ने एक दिन पहले ही मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई और लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी। यह मामला अदालत में गया था और अदालत ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया। प्रशासन ने यह भी कहा कि यहां काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है, इसलिए उसका विस्तार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 जून) के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून में स्थित जामा मस्जिद को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। स्थानीय

मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह मस्जिद काफी पुरानी है और यह सरकारी रिकॉर्ड व वक्फ बोर्ड में दर्ज है। यहां पर स्थानीय मुसलमान नियमित रूप से नमाज अदा करते आ रहे हैं। दूसरी ओर, प्रशासन ने कहा है कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है, इसलिए इसे ध्वस्त किया जाएगा।

हिंदुस्तान (9 जून) के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा-भयंदर इलाके में स्थित नूरी मस्जिद को स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई कई घंटे तक चली। प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद के बगल में बने एक मंदिर को भी ध्वस्त किया गया है। ये दोनों धार्मिक स्थल अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बनाए गए थे। नगर निगम के कमिश्नर ने कहा है कि शहर में सरकारी जमीनों पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी संरचनाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।

एतेमाद (14 जून) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि पिछले सप्ताह देश के विभिन्न भागों में स्थित कई मस्जिदों और मजारों को अवैध करार देकर प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित थीं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि यह अभियान मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना से प्रेरित है। अगर सरकार का इरादा अवैध अतिक्रमणों को हटाना होता तो इस अभियान में कोई मंदिर भी ध्वस्त किया जाता। सिर्फ मस्जिदों और मजारों को ही अवैध व गैर-कानूनी करार देकर ध्वस्त करना मुसलमानों की धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश का एक हिस्सा है, जिसे सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है।

समाचारपत्र ने शिकायत की है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंश के बाद से प्रशासन का हौसला बढ़ गया है और वह जानबूझकर देशभर में मस्जिदों और मजारों का नामोनिशान मिटाने पर तुली हुई है। मुसलमान बेबसी और लाचारी से अपनी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाना देख रहे हैं। हद तो यह है कि संभल की एक पुरानी मस्जिद का नामोनिशान रातों-रात मिटा दिया गया। जब सुबह लोग नमाज पढने के लिए पहुंचे तो उन्हें मस्जिद का कोई नामोनिशान नहीं दिखाई पड़ा। इसी तरह से वाराणसी में 200 साल पुरानी मस्जिद को यह कहकर गिरा दिया गया कि वह रेलवे की जमीन पर बनाई गई थी, जबकि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन सिर्फ सौ साल पहले बिछाई गई थी। जयपुर की नूरानी मस्जिद को भी सड़क चौड़ी करने के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। यह मस्जिद 40 साल पुरानी थी और इसका पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में दर्ज है।

इसी तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की यमुना कॉलोनी में भी एक मजार को ध्वस्त कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय प्रशासन को इस मजार के अवैध होने की जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि यह मजार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत

राज्य में कई मजारों, मस्जिदों और मदरसों के अवैध ढांचे को हटाया गया है। अब इसी तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी की जा रही है।

उर्दू टाइम्स (10 जून) ने अपने संपादकीय में देशभर में भाजपा शासित सरकारों द्वारा मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चलाए जाने की कड़ी निंदा की है। समाचारपत्र का आरोप है कि मुस्लिम समाज इस स्थिति को बेबसी से देख रहा है, क्योंकि वह कानूनी तौर पर भी कुछ नहीं कर सकता। अदालतें सत्ताधारी दल के प्रभाव में हैं और विरोध करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे अपनी मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के सभी जरूरी व कानूनी दस्तावेज हमेशा तैयार रखें ताकि समय आने पर प्रशासन के सामने पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें। समाचारपत्र ने बाबरी मामले का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि प्रबंधक कमेटी के पास सभी कागजात होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था के आधार पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया।

हिंदुस्तान (10 जून) ने शिकायत की है कि भाजपा जिस भी राज्य में सत्ता में आती है वहां मस्जिदों, दरगाहों और मजारों को ध्वस्त करने का अभियान पूरी गति से शुरू हो जाता है। देश का न्यायतंत्र भी सत्तारूढ़ गिरोह के प्रभाव में है, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय की सुनवाई नहीं हो पा रही है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि देश में मुसलमानों का जीना दूभर होता जा रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 जून) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि मीडिया सत्तारूढ़ दल के इशारे पर नाच रहा है। हाल ही में जयपुर में नूरानी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की घटना इसका प्रमुख उदाहरण है। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पुलिस के कड़े पहरे में कई मस्जिदों और दरगाहों को हटाया गया, लेकिन प्रमुख समाचारपत्रों ने इस खबर को उचित स्थान नहीं दिया। इससे समाज का एक वर्ग यह महसूस करने लगा है कि उसकी धार्मिक और सामाजिक पहचान को जानबूझकर मिटाया जा रहा है ताकि देश को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सके।

बिहार में मदरसों की जांच हेतु समिति का गठन

कौमी तंजीम (3 जून) के अनुसार भाजपा सरकार ने बिहार में सत्ता की बागडोर संभालते ही मुसलमानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे राज्य में मदरसों की बारिकी से जांच करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के कामकाज और आर्थिक संसाधनों की बारिकी से जांच करें। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश

जारी किया है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रखंड के विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या अंचलाधिकारी (सीओ) होंगे। वहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त इस समिति में संबंधित प्रखंड मुख्यालय में स्थित सरकारी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को भी सदस्य बनाया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि इस समिति के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पास होगा। तीन सदस्यीय समिति गठित होने के 10 दिनों के भीतर संबंधित मदरसों की जांच रिपोर्ट मुख्यालय को देनी होगी। सरकार का कहना है कि राज्य सरकार इन मदरसों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और इसके कर्मचारियों को वेतन आदि इसी अनुदान से दिए जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जाए। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सभी मदरसों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा।

राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पिछले सप्ताह यह भी घोषणा की थी कि राज्य में सभी फर्जी मदरसे और संस्कृत पाठशालाएं बंद की जाएंगी। इसके साथ ही इनके कर्मचारियों की योग्यता की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा के नाम पर जो धोखाधड़ी दशकों से चल रही है उसे सहन नहीं किया जाएगा। सरकार केवल उन मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को प्रोत्साहन देगी जो नियमों के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (13 जून) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा देशभर में मदरसों और मस्जिदों को ध्वस्त करने तथा उन्हें बंद करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य मुसलमानों को इस्लाम और दीन से दूर करना है। संपादकीय में कहा गया है कि मदरसे और मस्जिदें इस्लाम की ताकत हैं, इसलिए इन्हें 'इस्लाम का किला' कहा जाता है। भाजपा की सांप्रदायिक सरकार इन्हें तबाह व बर्बाद करना चाहती है ताकि इन मदरसों और

मस्जिदों के कारण जो मुसलमान इकट्ठा होकर दीनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं उन्हें एकजुट होने से रोका जा सके। अब तो स्थिति यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश से मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ जो बुलडोजर अभियान शुरू हुआ था, वह पूरे देश में फैल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में सत्ता में आते ही भाजपा ने मदरसों को तबाह व बर्बाद करने का अभियान पूरी तेजी से शुरू कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जून) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि मुलमानों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने के कारण बच्चे दीन और इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। समाचारपत्र ने सवाल किया है कि अगर बच्चों को उनके बचपन में दीनी शिक्षा (धार्मिक शिक्षा) का माहौल नहीं मिला तो वे इस्लाम और शरिया के पाबंद कैसे होंगे? जरूरत इस बात की है कि बच्चों को दीनी शिक्षा दिलाई जाए और उन्हें शरिया से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।

हिंदुस्तान (12 जून) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि सत्ता में आते ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल और बिहार में इस्लामी मदरसों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सरकार की ओर से मदरसों के पंजीकरण, छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या, भूमि और इमारत की कानूनी हैसियत तथा पाठ्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। हालांकि ये सभी सवाल प्रशासकीय हैं और सरकार किसी भी शिक्षण संस्थान के बारे में इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकती है, लेकिन आज देश में जो राजनीतिक माहौल है और जो सांप्रदायिक दल सत्ता में है, उसकी मुस्लिम दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। इससे पहले भी जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में आई है, वहां पर मदरसों को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा है। किसी न किसी बहाने की आड़ में उन्हें बंद किया जा रहा है या उन्हें अवैध घोषित करके बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। मुसलमानों को सरकार के इन खतरनाक इरादों से चौकन्ना रहने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी

उर्दू टाइम्स (2 जून) के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी कर रही है। इस उद्देश्य से एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है ताकि राज्य के नागरिक इस संदर्भ में अपने जरूरी सुझाव दे सकें और अपने दृष्टिकोण से सरकार को अवगत करा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय उच्च स्तरीय

कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो राज्य के सभी धार्मिक व सामाजिक नेताओं से संपर्क करके उनकी राय प्राप्त करेगी।

उन्होंने कहा कि आज देश में यूसीसी को लागू करने की आवश्यकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार इसे लागू करने की सिफारिश कर चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह जरूरी है कि उन्हें पुराने बंधनों और कुप्रथाओं से मुक्त किया जाए। डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता और गोद लेने से संबंधित नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान होने चाहिए। देश के कानून के सामने धर्म के आधार पर विभिन्न नागरिकों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तराखंड, गुजरात और असम यूसीसी लागू कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा के पटल पर इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा ताकि राज्य में जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने विचारों से कमेटी को अवगत कराएं।

हिंदुस्तान (13 जून) के अनुसार छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी त्योहारों के दौरान डीजे, बैंड-बाजा, धुमाल, नाच-गाना और आतिशबाजी जैसी गैर-शरीयत गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा और बहस शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा है कि ऐसे नियम सभी धर्मों के त्योहारों पर लागू होने चाहिए। दूसरी ओर, राज्य के उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने वक्फ बोर्ड के इस दिशा-निर्देश का स्वागत किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने अपील जारी करते हुए कहा है कि मुसलमानों के सभी कार्यक्रम कुरान, हदीस और शरीयत के नियमों के मुताबिक ही आयोजित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी समिति या व्यक्ति इन दिशा-निर्देशों

का उल्लंघन करेगा उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित समिति की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 जून) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्य सरकारें यूसीसी लागू करके मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रही हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक अल्पसंख्यक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी आस्था और धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। संविधान की इस गारंटी के बावजूद भाजपा अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यकों पर एकतरफा कानून लागू किए जा रहे हैं। समाचारपत्र ने इस बात पर भी निराशा जताई है कि न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।

समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के नाम पर हाल ही में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। इस कथित कानून के तहत मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। भारतीय संविधान के तहत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, रीति-रिवाज निभाने, विवाह करने और अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है, लेकिन सरकार जानबूझकर मुसलमानों के शरिया अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण को रोकने की आड़ में अब तक महाराष्ट्र सहित देश के 13 राज्यों में कड़े कानून बनाए जा चुके हैं।

समाचारपत्र ने शिकायत की है कि जो व्यक्ति सरकार की इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसे कानूनों का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश के इस्लामिक प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी को लखनऊ के सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा दी है। यह संविधान और कानून का दुरुपयोग है।

दिल्ली में आतंकवादियों का गिरोह गिरफ्तार

कौमी तंजीम (18 जून) के अनुसार दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल के पांच अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके एक दिन पहले सात अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह से दो दिनों में 12 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का संबंध आईएसआई के एक हैंडलर शहजाद भट्टी से है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद यह पता चला है कि आईएसआई ने उन्हें दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में पुलिस थानों पर हमला करके पुलिस अधिकारियों की हत्या करने का काम सौंपा था। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि आईएसआई समर्थित आतंकवादी संगठन 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' के लिए युवकों को भर्ती किया जाए। पुलिस ने इनके पास से

काफी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि इन्हें बम बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था।

उर्दू टाइम्स (10 जून) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े आतंकवादियों की तलाश में हरियाणा और पंजाब में 18 स्थानों पर छापे मारे और कई लोगों को हिरासत में लिया। इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि भट्टी गिरोह की पहचान मार्च 2025 में जालंधर के रहने वाले रोजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले में हुई थी। इस गिरोह ने नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा के पुलिस स्टेशन में धमाका किया था। इसके बाद इसी गिरोह ने जनवरी 2026 में अंबाला पुलिस स्टेशन में भी धमाका किया था।

कौमी तंजीम (16 जून) के अनुसार बिहार के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मधुबनी से एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। उस पर विदेशों के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए मौलाना की पहचान 56 वर्षीय इजहार कासमी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दिनों वह मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उर्दू मोहल्ला स्थित एक मदरसे में रह रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसे मध्य प्रदेश खुफिया विभाग और मध्य प्रदेश एटीएस से प्राप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मौलाना आईएसआई के हैडलर्स के संपर्क में था। छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल और संदिग्ध सिम कार्ड बरामद हुए हैं। विस्तृत पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी को एनआईए के हवाले कर दिया गया है।

छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने–अपने दावे

हिंदुस्तान (12 जून) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सर्वसमावेशी नीतियों और उनकी सेना में मुस्लिम सहयोगियों की भूमिका के खिलाफ सांप्रदायिक तत्वों ने दुष्प्रचार तेज कर दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय शासक रहे हैं और उन्हें देशभर में एक बड़े 'हिंदूवादी आइकॉन' के रूप में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, हकीकत यह है कि शिवाजी की लोकप्रियता समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है और महाराष्ट्र में तो वे समाज के हर वर्ग में बेहद लोकप्रिय हैं। राज्य में उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम और आदर के साथ मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में मुसलमान भी भाग लेते हैं। लोक गीतों में उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ सांप्रदायिक तत्व जानबूझकर इस लोकप्रिय शासक को विवादों में घसीट रहे हैं।

ताजा विवाद यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा आयोजित एक समारोह में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि "छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार युद्धों से थककर समर्थ गुरु रामदास के पास गए थे। उन्होंने अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे उन्हें शासक के रूप में कर्तव्यों से मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि वे अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं।" शास्त्री के अनुसार शिवाजी महाराज ने गुरु रामदास से अनुरोध किया था कि वे उनका राज्य अपने पास वापस ले लें।

समाचारपत्र ने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया कि समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु थे। हकीकत यह है कि वे शिवाजी महाराज के गुरु नहीं थे। यह झूठ सिर्फ इसलिए गढ़ा गया ताकि शिवाजी को ब्राह्मण साबित किया जा सके। यह विवाद अदालत में पहुंचा। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि रामदास शिवाजी महाराज के गुरु नहीं थे और उनके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। आपको हैरानी होगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बड़ा झूठ उस समारोह में बोला, जिसमें आरएसएस के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद थे। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों में से किसी ने भी शास्त्री के इस झूठ पर आपत्ति नहीं की।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि शिवाजी महाराज के सबसे विश्वस्त साथी मौलाना हैदर अली थे। शिवाजी महाराज महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। उनकी सेना ने एक मुस्लिम शासक की बेहद खूबसूरत पुत्रवधू को उन्हें तोहफे के तौर पर पेश किया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे अपनी मां की संज्ञा देते हुए पूरे मान सम्मान के साथ उसे संबंधित मुस्लिम शासक

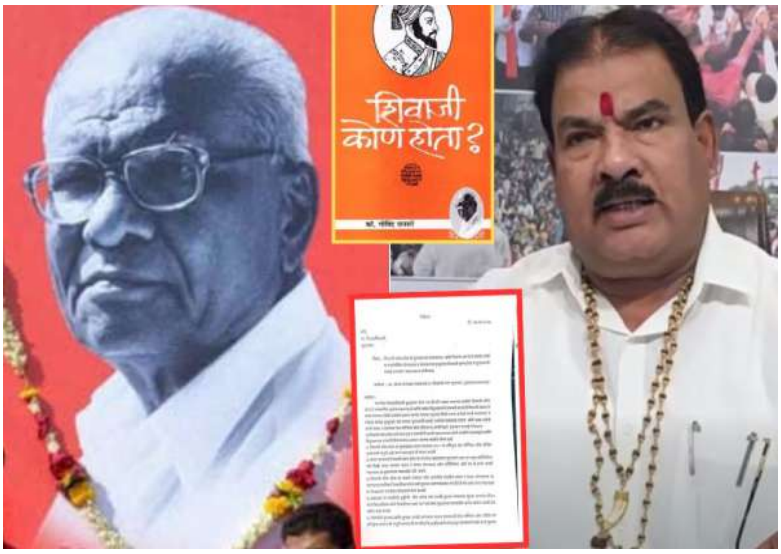

परिवार को सौंप दिया। हकीकत यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण ने आरएसएस के नेताओं की मौजूदगी में जिन विचारों की अभिव्यक्ति की, उनका लक्ष्य आरएसएस की विचारधारा को प्रोत्साहित करना था।

दूसरा विवाद भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना (शिंदे गुट) के एक विधायक संजय गायकवाड़ का है, जो बुलढ़ाणा क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उस प्रकाशक की जुबान काटने की धमकी दी है, जिसने 1988 में लेखक गोविंद पानसरे की लोकप्रिय पुस्तक 'शिवाजी कौन थे' प्रकाशित की थी। संजय गायकवाड़ ने कहा है कि गोविंद पानसरे ने अपनी पुस्तक में मराठा इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया था, इसलिए इस पुस्तक के प्रकाशक का हश्र भी वही होगा, जो पानसरे का हुआ था।

उल्लेखनीय है कि 2015 में गोविंद पानसरे की महाराष्ट्र में सुबह सैर करते समय हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के आरोपियों का संबंध हिंदुत्ववादी गुटों से पाया गया। गोविंद पानसरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता थे और सामाजिक कुप्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने काफी शोध के बाद मराठी में यह पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1988 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पुस्तक में कहा गया है कि शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके दादा मालोजी भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ की दरगाह में हाजिरी देकर यह मन्नत मांगी थी कि अगर सूफी संत की दुआ से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तो वे अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखेंगे। यही कारण है कि जब उनके घर दो बेटों का जन्म हुआ तो उन्होंने उनके नाम शाहजी और शरीफजी रखे। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हीं शाहजी भोसले के पुत्र थे।

यह तथ्य है कि शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने अफजल खान की हत्या तो की, लेकिन बाद में उसके सम्मान में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जो आज भी वहां मौजूद है। अजीब बात है कि संजय गायकवाड़ और उनके समर्थक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के इन सर्वसमावेशी और धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।

विश्व

पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह

उर्दू टाइम्स (14 जून) के अनुसार पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने सेना और जनता के बीच हुई हिंसक झड़पों में 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि गैर-सरकारी सूत्रों का दावा है कि मृतकों की संख्या 150 से अधिक हो चुकी है। पिछले दो सप्ताह से इस पूरे क्षेत्र में जनजीवन ठप है। दरअसल जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओजेके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को रद्द करने की मांग को लेकर जिस आंदोलन की घोषणा की थी, उसने अब उग्र रूप ले लिया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में यह स्वीकार किया है कि पीओजेके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक है। 20 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ रावलकोट से राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने के लिए विभिन्न स्थानों पर डटी हुई है। स्थानीय पुलिस स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए सेना और फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया गया है। ये सुरक्षा बल पिछले कई दिनों से रावलकोट में जमा प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च करने से रोक रहे हैं। सेना ने इस पूरे क्षेत्र में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सड़कों की नाकेबंदी कर दी है और इस मार्ग पर अनेक सैन्य सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अब तक लगभग डेढ़ से दो हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि अवामी एक्शन कमेटी के कुछ उग्र कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव व हमले किए हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। इस तनाव के कारण प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। सड़कों पर यातायात ठप होने के कारण इस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने लोगों को समझौते पर मजबूर करने के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की

आपूर्ति को जानबूझकर बाधित किया है, जिसके कारण कई दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को भुखमरी जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

समाचारपत्र के अनुसार पीओजेके में सेना द्वारा आम जनता के दमन और उत्पीड़न के खिलाफ ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी मूल के नागरिकों ने पाकिस्तान सरकार के विरोध में लंदन और न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तानी दूतावासों के सामने उग्र प्रदर्शन किए हैं। ब्रिटेन में 50 सांसदों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को एक संयुक्त पत्र भेजकर यह मांग की है कि वे राजनयिक माध्यमों का उपयोग कर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाएं। सांसदों ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ तुरंत शांतिपूर्ण बातचीत शुरू करे और जेलों में बंद सभी प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा करे।

मुजफ्फराबाद से संवाददाता जमील सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने पूरे पीओजेके का पैदल दौरा किया है, क्योंकि ईंधन की भारी कमी के कारण सभी पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। किसी भी दुकान पर कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि सेना द्वारा लगाए गए सख्त कर्फ्यू और नाकेबंदी के कारण आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। उन्होंने बताया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारियों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन वे पहाड़ी क्षेत्रों व सुरक्षित ठिकानों में छिप गए हैं। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने इन मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी पर बड़े इनामों की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि पीओजेके विधानसभा में 12 सीटें जम्मू-कश्मीर के भारतीय क्षेत्र से भागकर आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। हाल ही में वहां की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इन आरक्षित सीटों को आगे भी जारी रखने का फैसला किया था। इसके विपरीत अवामी एक्शन कमेटी की मांग है कि इन 12 आरक्षित सीटों को तुरंत समाप्त किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की संघीय सरकार इनकी आड़ में अपने पसंदीदा नेताओं और प्रतिनिधियों को पिछले दरवाजे से लाकर वहां अपनी कठपुतली सरकार बनाती है।

गौरतलब है कि पीओजेके विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 53 है, जिनमें से 45 निर्वाचित सीटें हैं। शेष आठ मनोनीत सीटों में से पांच सीटें महिलाओं के लिए, एक सीट उलेमा के लिए, एक सीट टेक्नोक्रेट के लिए और एक सीट विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे मतदान के माध्यम से होता है। निर्वाचित 45 सीटों में ही वे 12 सीटें भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रह रहे जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि, इन 12 सीटों के लिए पीओजेके की स्थानीय जनता मतदान नहीं करती है। पीओजेके की विधानसभा में इस समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) सबसे बड़े दल के रूप में सत्तारूढ़ है, जिसके वरिष्ठ नेता राजा फैसल मुमताज राठौर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं।

अवामी एक्शन कमेटी के एक प्रवक्ता ने बताया कि जनता की नाराजगी का एक मुख्य कारण यह भी है कि सरकार ने आटे और अन्य खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है, जिससे उनके मूल्यों में लगभग तीन गुना तक वृद्धि हो गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिजली की कीमत जो पहले प्रति यूनिट नौ रुपये थी उसे बढ़ाकर 32 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण से मात्र एक रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदती है। इसके बावजूद जनता से 32 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूली की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि 20 किलोग्राम आटे की बोरी इस समय बाजार में 5500 रुपये तक में बिक रही है, जबकि इससे पहले पकिस्तान सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कारण जनता को यही आटा 1590 रुपये प्रति बोरी मिलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि संघीय सरकार कश्मीरियों को लूट रही है और इस पैसे को पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की ऐश-ओ-आराम पर खर्च किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का गठन 2023 में इस क्षेत्र में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष शौकत नवाज मीर हैं। 5 जून 2026 को सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने इसके चार प्रमुख नेताओं शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, मेहरान अरशद और सरदार अमन खान की गिरफ्तारी के लिए एक करोड़ इनाम की घोषणा की है, जिसे गंभीर हिंसक झड़पों के बाद बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

एतेमाद (10 जून) के अनुसार पीओजेके में नागरिक अधिकारों के हनन पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से इस क्षेत्र की जटिल समस्याओं के समाधान को कई दशकों से नजरअंदाज किया जा रहा था। वर्तमान की विस्फोटक स्थिति उसी का परिणाम है।

चट्टान (17 जून) के अनुसार मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. अमजद अयूब मिर्जा ने पीओजेके में कश्मीरियों पर किए जा रहे उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है और भारत सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि पाकिस्तानी सेना सैकड़ों की संख्या में पर्दानशीं महिलाओं को उनके घरों में घुसकर गिरफ्तार कर रही है और उनके साथ मारपीट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से पाकिस्तान की पंजाबी सेना कश्मीरियों का नरसंहार कर रही है उसका विरोध दुनियाभर के देशों को करना चाहिए।

एक अन्य कश्मीरी संगठन 'कश्मीर डायस्पोरा कोएलिशन' ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि वह पीओजेके में महंगाई के खिलाफ भड़क रहे जन-असंतोष को सैन्य शक्ति से कुचलने से बाज आए और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत का सिलसिला शुरू करे।

अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध

कौमी तंजीम (12 जून) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देशभर के सभी सरकारी कार्यालयों, सैन्य प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता (अमीर) मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा की ओर से एक फरमान जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी तालिबानी सदस्य, सरकारी विभाग के कर्मचारी, सैनिक, पुलिस अधिकारी, खुफिया एजेंसी के स्टाफ, शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों और छात्रों को कार्यस्थल पर स्मार्टफोन लाने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सभी सुरक्षा विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे देशभर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की सूची तैयार करें और उसके बारे में तुरंत सैन्य मुख्यालय को सूचित करें। जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा और उसके डिवाइस को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। यह कड़ा कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि तालिबान सरकार को डर है कि इन आधुनिक उपकरणों के जरिए गोपनीय प्रशासनिक जानकारियां और सैन्य ठिकानों की संवेदनशील सूचनाएं लीक हो रही हैं।

गौरतलब है कि 1996 में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था तो उस समय देशभर में टेलीविजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था।

अल अरेबिया के अनुसार इस सरकारी फैसले के खिलाफ आम लोगों में काफी नाराजगी है। हाल ही में पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात क्षेत्र में हिजाब और बुर्का न पहनने के कारण भारी संख्या में महिलाओं और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन हुए थे उनसे संबंधित वीडियो मोबाइल के जरिए इंटरनेट पर काफी वायरल हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने हेरात क्षेत्र में घर-घर तलाशी लेकर लोगों से मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें सामूहिक रूप से नष्ट कर दिया।

सरकार द्वारा देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में भी फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन संस्थाओं के प्रबंधकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने संस्थानों में किसी भी छात्र या छात्रा को मोबाइल और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की अनुमति न दें। संस्थानों को समय-समय पर छात्रों की तलाशी लेने को कहा गया है ताकि किसी के पास से अवैध मोबाइल मिलने पर उसे तुरंत जब्त किया जा सके। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा विभाग ने सभी मदरसों को आदेश दिया है कि वे छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल को सख्ती से रोकें, क्योंकि इससे समाज में अश्लीलता फैलती है। तालिबान प्रशासन का आरोप है कि छात्र-छात्राएं पश्चिमी लिबास

पहनने वाली मॉडलों के वीडियो देखते हैं, जो इस्लाम और शरिया के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।

तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने कहा है कि स्मार्टफोन व मोबाइल फोन मुसलमानों और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं, विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान प्रशासन ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है, क्योंकि लोग सरकार द्वारा अपने विरोधियों के दमन और सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली क्रूर सजाओं के वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देते हैं। इससे दुनियाभर में अफगानिस्तान और तालिबान प्रशासन की छवि धूमिल होती है।

अमेरिका में 30 भारतीय ट्रक चालक गिरफ्तार

हिंदुस्तान (3 जून) के अनुसार अमेरिका में अवैध रूप से रहने और वाणिज्यिक वाहन चलाने के आरोप में 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी व्यक्ति अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग द्वारा अमेरिकी राज्य एरिजोना के यूमा सेक्टर में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस लक्षित अभियान का नाम 'ऑपरेशन चेकमेट' रखा गया था, जिसके तहत कुल 52 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन 52 में से 36 लोग भारी कमर्शियल ट्रक चला रहे थे, जिनमें 30 भारतीय नागरिक शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अधिकांश भारतीय चालकों के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया राज्यों द्वारा जारी किए गए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए हैं। ये लाइसेंस पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें वर्तमान ट्रम्प प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया है।

अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि इन्हें शीघ्र ही अमेरिका से निष्कासित करके भारत भेज दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे अभियान का उद्देश्य अमेरिकी राजमार्गों पर अवैध रूप से भारी वाणिज्यिक वाहन चला रहे गैर-कानूनी प्रवासियों का पता लगाना और उन्हें देश से बाहर निकालना है ताकि अमेरिकी नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक नए नीतिगत आदेश के तहत अस्थाई वर्क परमिट धारकों, शरण चाहने वालों और अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या उनके नवीनीकरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही वर्तमान प्रशासन ने यह भी फैसला किया है कि पूर्ववर्ती जो बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल के दौरान विदेशी मूल के जिन लोगों को रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे,

उनके पात्रता दस्तावेजों को तत्काल रद्द किया जाएगा। ऐसे सभी चालकों को गैर-कानूनी प्रवासी मानकर उन्हें देश से बाहर निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उर्दू टाइम्स (11 जून) के अनुसार अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने साल 2008 में अमेरिकी पत्रकार डेविड रोहडे के अपहरण में शामिल तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 50 वर्षीय हाजी नजीबुल्लाह ने अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे डेविड रोहडे और उनके दो साथियों का अपहरण कर लिया था और उन्हें लगभग सात महीने तक बंधक बनाकर रखा था। बाद में ये पत्रकार कैद से भागकर सुरक्षित अमेरिका पहुंचने में सफल रहे। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस तालिबान कमांडर को यूक्रेन से गिरफ्तार कर अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

न्यूयॉर्क की अदालत में सरकारी वकील ने डिजिटल व दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए यह साबित किया कि नजीबुल्लाह न केवल इस अपहरण कांड का मुख्य सूत्रधार था, बल्कि वह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य काफिलों पर हमलों की साजिश रचने और अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी दोषी है। अदालत ने इन दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर नजीबुल्लाह को कड़े कारावास की सजा सुनाई है।

ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ अभियान

उर्दू टाइम्स (12 जून) के अनुसार उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट मे एक आयरिश नागरिक पर हुए घातक हमले के बाद पूरे ब्रिटेन में प्रवासी नागरिकों के खिलाफ हिंसक हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। उग्र भीड़ ब्रिटेन के विभिन्न इलाकों में प्रवासियों के घरों और दुकानों को निशाना बना रही है तथा उनमें आग लगा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग कानून को अपने हाथ में न लें और प्रवासी नागरिकों की संपत्तियों को निशाना न बनाएं। स्टार्मर ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस इन हमलों पर काबू पाने में विफल रही तो सरकार को विवश होकर सेना की सहायता लेनी पड़ेगी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह तनाव तब शुरू हुआ जब सूडान मूल के एक मुस्लिम प्रवासी का एक आयरिश नागरिक से विवाद हो गया। इस दौरान 30 वर्षीय सूडानी नागरिक हादी अलोदिद ने चाकू से हमला कर 40 वर्षीय आयरिश व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले की खबर फैलते ही ब्रिटेन के विभिन्न नगरों में प्रवासियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। कम से कम एक दर्जन स्थानों पर नकाबपोशों की भीड़ ने प्रवासियों के घरों, दुकानों और उपासना स्थलों को निशाना बनाया। साउथैम्पटन में अफ्रीकी प्रवासियों की दुकानों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी गई। ग्लासगो में भी इस हिंसा के कारण भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

पुलिस के अनुसार हमलावर सूडानी नागरिक पहले सूडान से पेरिस आया था। 2023 में वह बेलफास्ट पहुंचा। इसके बाद उसने ब्रिटिश गृह मंत्रालय से राजनीतिक शरण मांगी। इस पर उसे 2028 तक ब्रिटेन में रहने की कानूनी अनुमति दी गई। समाचारपत्र के अनुसार दक्षिणपंथी संगठन के नेता टॉमी रॉबिन्सन ने सोशल मीडिया पर प्रवासियों के खिलाफ भड़काऊ अभियान शुरू करते हुए ब्रिटिश जनता से बदला लेने के लिए सड़कों पर उतरने की अपील की। इसके बाद ब्रिटेन के विभिन्न नगरों में लोग नकाब पहनकर सड़कों पर उतर आए और प्रवासियों व उनके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दक्षिणपंथी ब्रिटिश राजनीतिक दल 'रिफॉर्म यूके' ने मांग की है कि प्रवासियों को वीजा जारी करने पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहे अवैध प्रवासियों को निष्कासित कर उनके मूल देशों में भेजा जाए।

उर्दू टाइम्स (13 जून) के अनुसार प्रवासी नागरिकों के खिलाफ अधिकांश हिंसा प्रोटेस्टेंट बहुल क्षेत्रों में हुई है, जबकि कैथोलिक बहुल इलाकों में मोटे तौर पर शांति बनी रही। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इस बात की गहन जांच की जा रही है कि क्या इन दंगों को भड़काने के पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी और अशांति फैलाने में किसी विशिष्ट संगठन का हाथ तो नहीं था? पुलिस प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दंगों को भड़काने में भूमिका निभाई है, उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें ढूंढ-ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। तनाव को देखते हुए उत्तरी आयरलैंड की सभी मस्जिदों व इस्लामी केंद्रों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पूरे ब्रिटेन में स्थित मस्जिदों की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं।

अवैध घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश और भारत में तनाव

उर्दू टाइम्स (11 जून) के अनुसार भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने किसी भी घुसपैठिए के अपने देश में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इन लोगों को रोकने के लिए बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमा से सटे दो दर्जन से अधिक संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरियों की तैनाती की है। बीएसएफ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने 'बांग्लादेश अंसार' और 'विलेज डिफेंस पार्टी' के सशस्त्र कर्मियों को भी सीमा पर उतारा है। ये सुरक्षाकर्मी बंदूक के बल पर भारत से निष्कासित किए गए घुसपैठियों को वापस भारतीय सीमा में धकेल रहे हैं। अब तक भारत पांच हजार से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को निष्कासित कर चुका है। इनके प्रवेश को रोकने के लिए बांग्लादेशी बलों ने नवाबगंज, ठाकुरगंज, दिनाजपुर, कुश्तिया जैसे 20 से अधिक सीमावर्ती स्थानों पर कटीली बाड़ भी लगा दी है।

हिंदुस्तान (13 जून) के अनुसार बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधमंडल ने बीएसएसफ के महानिदेशक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि भारत अवैध प्रवासियों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेल रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, भारत का रुख है कि वह कानूनन सिर्फ उन्हीं घुसपैठियों को वापस भेज रहा है, जिनकी विदेशी या अवैध नागरिकता की पुष्टि भारतीय अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बांग्लादेश अपनी सीमा पर अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरियों की तैनाती बंद करे, क्योंकि इससे बेवजह तनाव पैदा होता है। बीजीबी के महानिदेशक ने दावा किया कि मई 2025 से लेकर इस साल जनवरी तक कुल 2479 लोगों को बीएसएफ द्वारा बांग्लादेश की सीमा में धकेला गया, जिनमें 120 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। ■

पश्चिम एशिया

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता

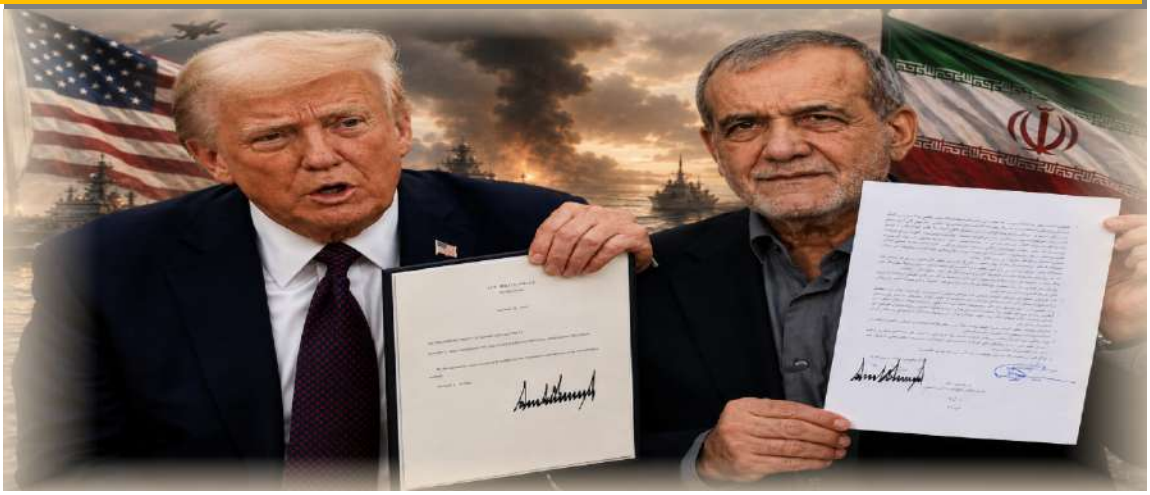

बीबीसी (18 जून) के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने डिजिटल माध्यम से इस समझौते को अपनी स्वीकृति दी। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (एमओयू) कहा गया है। इस समझौते के अनुसार ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बदले में ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के क्षेत्रीय फंड की व्यवस्था की जाएगी। यह समझौता फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के लगभग चार महीने बाद कूटनीतिक प्रयासों से संभव हुआ है। ट्रम्प प्रशासन ने इस समझौते को अपनी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है।

समझौते के कई हिस्से अभी तक अनसुलझे हैं। समझौते के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थाई तौर पर खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। गौरतलब है कि इजरायल द्वारा इस समझौते में लेबनान को शामिल करने का लगातार विरोध किया जा रहा है, जबकि ईरान कई बार इस समझौते में लेबनान को भी शामिल करने पर जोर दे चुका है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर इजरायल लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखता है तो यह समझौते का उल्लंघन होगा और हम इसके खिलाफ जरूरी कदम उठाएंगे। समझौते में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा और दोनों एक-दूसरे को धमकी भी नहीं देंगे। साथ ही ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान किया जाएगा। इस समझौते के बारे में इजरायल की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है।

ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ यह समझौता अंतिम नहीं है। अगर दो महीने के भीतर इसे लागू नहीं किया गया तो अमेरिका फिर से ईरान पर बमबारी शुरू करेगा। दस्तावेज के तीसरे बिंदु के अनुसार अमेरिका और ईरान अधिकतम

60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो इस समझौते की समय सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। चौथे बिंदु के अनुसार एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य से अपनी नौसेना की नाकेबंदी हटाना शुरू कर देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार 30 दिनों के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म करके उसे सामान्य यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर अमेरिका ने ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेना को हटाने का वादा किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सेना उसी स्थिति और संसाधनों पर लौट जाएगी, जो 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने से पहले थी। ईरान यह कोशिश करेगा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यावसायिक जहाज सुरक्षित रूप से गुजर सकें। इसके लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। युद्ध शुरू होने और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के बाद से अमेरिका का यह प्रयास रहा है कि यह जलमार्ग जलयानों के यातायात के लिए किसी भी कीमत पर खोल दिया जाए।

एमओयू के छठे बिंदु में कहा गया है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को ईरान को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं होगी और न ही उसे इस फंड में कोई योगदान देना अनिवार्य होगा। ट्रम्प प्रशासन ने कहा है कि यह समझौता 2015 के ईरान-ओबामा परमाणु समझौते से बिल्कुल अलग है। सातवें बिंदु के अनुसार अमेरिका ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेगा। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंध भी शामिल हैं।

आठवें बिंदु के अनुसार ईरान ने सहमति दी है कि वह परमाणु हथियार न तो खरीदेगा और न ही बनाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम का समाधान किया जाएगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह समाधान क्या होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इसे अमेरिका की एक बड़ी जीत करार दिया है। समझौते में यह भी कहा गया है कि संवर्धित यूरेनियम का समाधान होने तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को मौजूदा स्थिति में बनाए रखेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस दौरान अमेरिका ईरान को तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और उससे जुड़ी सेवाओं, जैसे बैंकिंग, लेनदेन और परिवहन के लिए छूट देगा। दस्तावेज के 11वें बिंदु में कहा गया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका फ्रीज या प्रतिबंधित फंड ईरान को पूरी तरह से उपलब्ध कराने का वादा करता है।

दस्तावेज के अंतिम बिंदुओं में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान एमओयू के पालन और भविष्य के अंतिम समझौते की निगरानी के लिए

एक व्यवस्था बनाएंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यवस्था क्या होगी।

न्यूयॉर्क टाइम्स (18 जून) ने कहा है कि ट्रम्प अपनी उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन इस बात पर बहुत जोर दे रहा है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। हालांकि, हकीकत यह है कि ईरान ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि वह परमाणु बम बनाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। ईरान ने 1970 में परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होते समय भी यही वादा किया था कि वह परमाणु शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा और युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। 2015 के परमाणु समझौते में भी उसने यही कहा था कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।

इस नए समझौते में ईरान से कहा गया है कि वह अपने पास मौजूद लगभग 11 टन संवर्धित परमाणु सामग्री को कम घनत्व वाला बनाएगा। इसका मतलब यह है कि यूरेनियम को इतना पतला कर दिया जाएगा कि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में न हो सके। इस 11 टन सामग्री में लगभग 440 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम भी शामिल है, जिसे 60 प्रतिशत तक संवर्धित किया जा चुका है, इसलिए अगर ईरान चाहे तो वह उससे सहज में ही परमाणु बम बना सकता है।

समझौते में यह भी नहीं कहा गया है कि ईरान को यह सामग्री देश से बाहर भेजनी होगी। ईरान लंबे समय से अपने यूरेनियम भंडार को विदेशों को सौंपने का विरोध करता आ रहा है और वह आज भी उसी पर कायम है। हालांकि, 2015 के परमाणु समझौते में ईरान ने उस समय संवर्धित यूरेनियम भंडार के एक बड़े हिस्से को रूस भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह यूरेनियम को संवर्धित करने का काम निरंतर करता रहा है। अभी कई बड़े सवाल अनसुलझे हैं, जैसे- क्या ईरान अपने पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार रख पाएगा? क्या उसे अपनी प्रमुख परमाणु सुविधाएं बंद करनी होगी? क्या उसे नया यूरेनियम संवर्धित करने की अनुमति मिलेगी? इस समय ईरान में परमाणु कार्यक्रम के कम से कम 16 संयंत्र सक्रिय हैं।

दूसरा सवाल यह है कि इस समझौते में 300 अरब डॉलर का जो 'ईरान विकास फंड' बनाने का आश्वासन दिया गया है, वह धनराशि कहां से आएगी? और उसे किस तरह खर्च किया जाएगा? राष्ट्रपति ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका इस फंड में सीधा पैसा नहीं लगाएगा। समझौते के बाद अमेरिका को ईरानी तेल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाना होगा। इससे आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को सुधारने में ईरान को निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह हिस्सा ईरान के खिलाफ सख्त रुख रखने वाले नेताओं और विशेषज्ञों के बीच सबसे ज्यादा चिंता का कारण बना हुआ है। उनका मानना है कि निर्यात पर लगी रोक अमेरिका का सबसे प्रभावी दबाव का साधन थी और इसी के कारण ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने पर विवश होना पड़ा। इस प्रतिबंध को हटाने से सबसे ज्यादा फायदा ईरान को होगा। यही व्यवस्था 2015 के

परमाणु समझौते में भी अपनाई गई थी। उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंध स्वीकार किया था, जिसके बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी। समझौते के तहत अमेरिका ने यह भी वादा किया है कि वह ईरान की फ्रीज संपत्ति को मुक्त कर देगा। इसका मतलब यह है कि अंतिम समझौते का इंतजार किए बिना ही अमेरिका को ईरान के लिए अरबों डॉलर की धनराशि जारी करनी होगी। यह धनराशि 24 अरब डॉलर या इससे भी अधिक हो सकती है।

1979 में ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका ने अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति फ्रीज की थी। 1995 में अमेरिका ने ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर बड़े प्रतिबंध लगाए थे। 2012 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण विदेशी बैंकों में ईरानी तेल की कमाई फंस गई थी। 2015 में जेसीपीओए समझौते के बाद अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ कुछ फंड जारी किया था। 2018 में जब ट्रम्प ने परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया तो अमेरिका ने ईरान पर पुनः कई प्रतिबंध लगाए थे, जिनके कारण इस समय 24 अरब डॉलर की धनराशि अमेरिका ने फ्रीज कर रखी है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका यह तय करना चाहता है कि ईरान के हर वादे की जांच और पुष्टि की जा सके। भविष्य में सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही होगा और इसी प्रश्न पर दोनों देशों के भविष्य के संबंध निर्भर करेंगे। जब अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता हो जाएगा तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के जरिए भी मंजूरी दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अंतिम समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी।

इंकलाब (18 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस समझौते से यह साफ हो गया है कि असली जीत ईरान की हुई है और अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इजरायल पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया है और उसकी स्थिति अब भी लेबनान मोर्चे पर फंसी हुई है। हालांकि, इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही हुआ है। ईरान को अपने वैज्ञानिकों, सेना के उच्चाधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि, इस समझौते से ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध तो रूक गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह युद्धविराम भविष्य में भी स्थाई रूप से जारी रहेगा। कौन कह सकता है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस समझौते को भंग करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इजरायल इस समस्या की जड़ बना हुआ है। वह न तो लेबनान से बाहर निकल रहा है और न ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के नित नए बहाने तलाशने से बाज आ रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस समझौते का ज्यादा दिनों तक टिक पाना संभव नजर नहीं आता। इजरायल इस समझौते पर सहमत नहीं है और

अमेरिका उसकी मदद करने से ज्यादा दिनों तक पीछे नहीं रह सकता। अगर यह समझौता लागू हो जाता है तो पश्चिम एशिया में इजरायल का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह स्थिति अमेरिका की मजबूत 'यहूदी लॉबी' को कभी भी मंजूर नहीं होगी। इससे साफ है कि अमेरिका बहुत समय तक इस समझौते से बंधा नहीं रह सकता है, इसलिए ईरान को सतर्क रहने की जरूरत है।

कौमी तंजीम (18 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस समझौते के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलों में भारी वृद्धि हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली है। इसे पश्चिम एशिया में स्थाई शांति का संकेत माना जा रहा है। स्पष्ट है कि यह संधि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और तुर्किये के दबाव के कारण ही संभव हो सकी है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों तथा चीन ने भी इसका स्वागत किया है। समझौते की घोषणा के तुरंत बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि इस समझौते के कारण क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के नए अवसर खुल गए हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि चाहे पूरा विश्व इस समझौते से खुश हो, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे खुश नहीं हैं। नेतन्याहू का यह प्रयास होगा कि यह समझौता ज्यादा समय तक बरकरार न रहे ताकि वे 'ग्रेटर इजरायल' के अपने नापाक मंसूबे को पूरा कर सकें। नेतन्याहू को इजरायल में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने गाजा में युद्ध जारी रखा और ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए ट्रम्प को उकसाया। उनके खिलाफ देश के अंदर भ्रष्टाचार के जो अनेक मुकदमे चल रहे हैं उनसे उन्हें हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद से राहत मिली हुई थी। इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही स्थिति शांत होगी, उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रम्प यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर नेतन्याहू को भी इस समझौते के प्रयासों में शामिल किया गया तो वे इसमें रोड़ा अटकाएंगे, इसलिए उन्होंने नेतन्याहू को इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इजरायल लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाएगा और यही कारण है कि यह शांति समझौता खतरे में पड़ सकता है।

सऊदी अरब और तुर्किये के बीच रेलवे नेटवर्क हेतु समझौता

कौमी तंजीम (10 जून) के अनुसार सऊदी अरब और तुर्किये ने आपस में रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि ऑटोमन साम्राज्य (उस्मानी साम्राज्य) के दौरान हिजाज और इस्तांबुल के बीच रेल सेवा उपलब्ध थी। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य के पतन और युद्ध की विभिषिका के बाद यह सेवा ठप हो गई थी।

हालांकि, इस पुरानी रेलवे के डिब्बे और अवशेष अब भी सऊदी अरब के कई स्थानों पर पड़े हुए हैं। सऊदी अरब के परिवहन मंत्री सालेह बिन नासिर अल-जस्सर ने 'अल अरेबिया' को बताया कि जॉर्डन और सीरिया से होते हुए तुर्किये तक रेल संपर्क का सर्वे कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा, जिसके एक साल के भीतर पूरा होने की संभावना है। इसके बाद रेल पटरी बिछाने का काम शुरू होगा। सऊदी मंत्री ने कहा कि इस योजना से मुस्लिम देशों के बीच एकता की भावना मजबूत होगी और व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में सऊदी अरब का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क 'अल-हदीथा क्रॉसिंग' के जरिए जॉर्डन की सीमा तक फैला हुआ है। इसी नेटवर्क का आगे विस्तार किया जाएगा।

इसके साथ ही जेद्दा इस्लामिक पोर्ट पर भी लॉजिस्टिक्स कॉरीडोर बनाने का फैसला किया जा चुका है। इसका लक्ष्य चीन से सीधा संपर्क स्थापित करना और लाल सागर एवं खाड़ी देशों के साथ चीन के व्यापारिक संबंधों को गति देना है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वर्तमान समुद्री गतिविधियों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यह जरूरी है कि चीन के साथ पाकिस्तान के रास्ते से सड़क संपर्क को भी विस्तारित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। हाल ही में ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में की गई नाकेबंदी को देखते हुए चीन के साथ व्यापार का एक वैकल्पिक मार्ग विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है।

हिंदुस्तान (14 जून) के अनुसार सऊदी अरब ने पर्यटन विकास के लिए एक नई वैश्विक पहल शुरू की है। इसी रणनीति के तहत उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की कार्यकारी परिषद के अधिवेशन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि वैश्विक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए नीतियों में आवश्यक संशोधन कर विभाग को नई दिशा दी जा रही है। इस अधिवेशन के बाद उन्होंने वहां के सफल पर्यटन उद्योग का बारिकी से अध्ययन करने के लिए यूनान का दौरा किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस के साथ भी एक समझौता हुआ है, जिसके तहत फ्रांसीसी कंपनियों और

नागरिकों को सऊदी अरब में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही फ्रांस सरकार को अपनी भविष्य की पर्यटन योजनाओं से भी अवगत कराया गया है।

सियासत (15 जून) के अनुसार सऊदी अरब ने पिछले एक सप्ताह में 10 हजार से अधिक विदेशी घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी गृह मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने विभिन्न सरकारी संस्थानों के सहयोग से 4 जून से 10 जून के बीच चलाए गए देशव्यापी अभियान के दौरान ये गिरफ्तारियां की हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में आवासीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले 5899 व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में तीन हजार से अधिक और श्रम कानून तोड़ने के मामले में दो हजार लोग पकड़े गए हैं। इसी अवधि के दौरान 7989 घुसपैठियों को सऊदी अरब से निष्कासित भी किया जा चुका है। वहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद अन्य 15 हजार संदिग्धों को आपातकालीन यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सऊदी अरब स्थित उनके संबंधित दूतावासों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया ताकि आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होते ही उन्हें भी देश से बाहर भेजा जा सके। ■

बहरीन में ईरानी जासूसों की गिरफ्तारी

कौमी तंजीम (5 जून) के अनुसार बहरीन के गृह मंत्रालय ने ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के इशारे पर काम करने वाले 15 संदिग्धों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। बहरीन सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इन पर ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए समाज में

घुसपैठ कर युवाओं को भड़काने, झूठी खबरें फैलाने और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की निरंतर निगरानी के बाद इन आरोपियों को पकड़ा गया है और इनके खिलाफ बहरीन के सुरक्षा कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एतेमाद (10 जून) के अनुसार कुवैत के गृह मंत्रालय ने घरेलू कामगारों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए इसे केवल 10 स्वीकृत देशों तक सीमित कर दिया है, जबकि 27 देशों के नागरिकों की नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों के तहत अब केवल भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, इरिट्रिया, बेनिन और सेनेगल के नागरिकों को ही घरेलू कर्मचारी के रूप में रखा जा सकेगा। इन सभी देशों के श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया कुवैत के सरकारी सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरी हो जाएगी।

लेबनान पर इजरायली हमलों में 3700 लोगों की मौत

एतेमाद (13 जून) के अनुसार अमेरिकी विरोध के बावजूद लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। दूसरी ओर, हिजबुल्लाह ने भी इजरायली ठिकानों को अपना निशाना बनाने की घोषणा की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले तीन महीने में इजरायली हमलों में 3711 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 11483 लोग घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना के लगातार हमलों के कारण मृतकों के शवों को कब्रिस्तानों में दफनाने में परेशानी हो रही है। इस वजह से कई लोग शवों को अस्थाई रूप से अपने घरों में ही दफना रहे हैं। शिया मुसलमानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार शवों को 'अमानत' के रूप में किसी जगह पर अस्थाई तौर पर दफनाया जा सकता है, जिन्हें बाद में हालात सुधरने पर स्थाई कब्रिस्तानों में स्थानांतरित करने की परंपरा है।

कौमी तंजीम (15 जून) के अनुसार इजरायली वायुसेना ने दक्षिण लेबनान के 30 कस्बों के निवासियों को अपने क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है, जिसके कारण इजरायली सेना को उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की इस चेतावनी के बाद अली अल-ताहिर पहाड़ी क्षेत्रों से लेबनानी नागरिकों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने इजरायली सैन्य ठिकानों पर 22 जवाबी हमले किए हैं।

उर्दू टाइम्स (3 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वर्तमान हालात में लेबनान में शांति सेना का होना बेहद जरूरी है ताकि लेबनानी सेना की मदद की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान में दो हजार से लेकर पांच हजार तक सैनिक तैनात किए जाएंगे। एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले बंद नहीं किए तो इसकी जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना

लेबनान की राजधानी बेरूत को अपना निशाना बनाएगी।

एतेमाद (14 जून) के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने इस बात का खंडन किया है कि सीरिया ने लेबनान में अपनी सेना भेजी है। उन्होंने पुष्टि की कि इजरायली हमलों के कारण लेबनान के 15 हजार से अधिक लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं। अल-शरा ने कहा कि वे लेबनान में शांति व स्थिरता चाहते हैं और इसके लिए वे अमेरिका से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। गौरतलब है कि 2005 में लेबनान से सीरियाई सेना की वापसी के बाद से दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और लेबनान में शरण लेने वाले सीरियाई शरणार्थियों के मुद्दे पर भी गंभीर मतभेद हैं।

हिंदुस्तान (11 जून) के अनुसार इजरायली टेलीविजन नेटवर्क 'चैनल 13' ने अपने प्रसारण में कहा है कि अगर इजरायल और लेबनान के बीच कोई शांति समझौता होता है तो लेबनान में तैनात इजरायली सेना वहां की राष्ट्रीय सेना को विशेष प्रशिक्षण देगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लेबनानी सेना को उन इलाकों की सुरक्षा और नियंत्रण संभालने के काबिल बनाना है, जिन्हें समझौता होने के बाद इजरायली सेना खाली कर देगी।

सियासत (15 जून) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल के हालिया हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि बेरूत पर इजरायल का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजरायल की इस हरकत से पश्चिम एशिया में अमेरिका के शांति स्थापना के प्रयासों को गहरा झटका लगता है। ■

ओमान के पास भारतीय जहाजों पर हमला

उर्दू टाइम्स (12 जून) के अनुसार भारत ने ओमान के तट के समीप एक और भारतीय व्यावसायिक जलयान पर अमेरिकी हमले की सूचना देते हुए कहा है कि इस सप्ताह इन हमलों के कारण तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना ओमान के शिनास बंदरगाह के पास हुई, जहां गिन्नी-बिसाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर 'एमटी जलवीर' को मिसाइल का निशाना बनाया गया। भारत सरकार के अनुसार इस भीषण हमले के बावजूद इस जहाज पर मौजूद सभी भारतीय

नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें आग की लपटों में घिरे तथा डूबते हुए जहाज से सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

पिछले चार दिनों के भीतर भारतीय नाविकों वाले किसी जलयान पर अमेरिकी सेना द्वारा किया गया यह तीसरा हमला है, जिसने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है।

यह हमला ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर 'एमटी सेटेबेलो' पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद हुआ। इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक सवार थे। शुरुआत में इनमें से तीन नाविकों के लातपा होने की खबर आई थी, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि ये तीनों भारतीय नाविक अमेरिकी हमले में मारे जा चुके हैं। भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और तीनों मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (एफएसयूआई) के महासचिव मनोज यादव ने कहा कि मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल हैं। इस घटना के बाद नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और उनके समक्ष इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

एतेमाद (12 जून) के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ओमान तट के समीप जहाजों पर ये हमले वहां तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किए हैं। दूसरी ओर, सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि इन व्यावसायिक जलयानों ने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय समुद्रों में काम करने वाले भारतीय नाविकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नाविकों की रक्षा करना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री के पास उत्सव मनाने का समय है पर उन्होंने निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या पर अमेरिका की निंदा करना जरूरी नहीं समझा।

सियासत (15 जून) के अनुसार कांग्रेस ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों के मारे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी के मूकदर्शक बने रहने की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने और देशवासियों की जान बचाने में बुरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक 'वफादार नौकर' की तरह अमेरिकी आदेशों का पालन कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (13 जून) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने अमेरिका द्वारा भारतीय नाविकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि "अमेरिकी सेना लगातार निर्दोष भारतीय नाविकों को मौत के घाट उतार रही है और हमारी सरकार खामोश खड़ी तमाशा देख रही है। इस गंभीर मामले को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा

सकता।" हुसैनी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस संवेदनशील मामले में एक स्पष्ट और मजबूत नीति अपनाने में पूरी तरह विफल रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली आक्रामकता को लेकर भी भारत सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

सियासत (13 जून) ने अपने संपादकीय में अमेरिका द्वारा भारतीय नाविकों पर हमले की निंदा की है। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि एक तरफ अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन की वकालत करता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं से गुजरने वाले जहाजों को उसकी अपनी ही सेना मिसाइलों का निशाना बना रही है। जिस तरह से निर्दोष भारतीय नागरिक बेवजह मारे जा रहे हैं, वह देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। इन हमलों को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से तत्काल ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के समक्ष केवल मौखिक विरोध दर्ज कराने से यह गंभीर मामला रूकने वाला नहीं है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

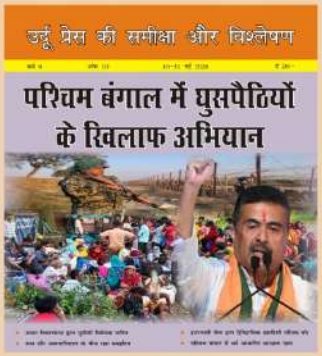

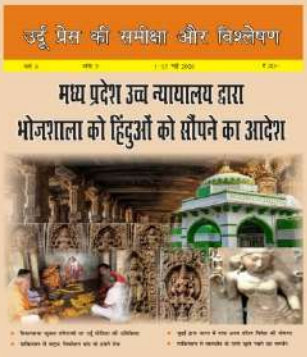

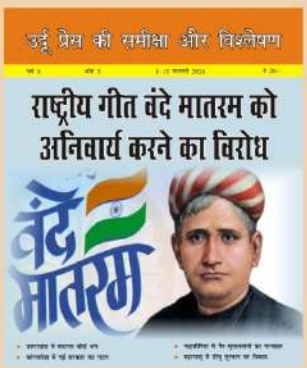

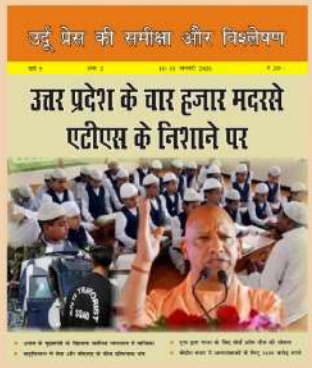

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in